विचार बिन्दु

चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। –ऋग्वेद

परिसीमन – क्या, क्यों और कैसे?

डीलिमिटेशन या परिसीमन आजकल चर्चा में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने डीलिमिटेशन को वर्तमान स्वरूप में, दक्षिणी राज्यों के हित के विरुद्ध बताया है। इससे पूर्व कि हम इसके गुणवगुण पर चर्चा करें, यह उपयुक्त होगा कि परिसीमन की पृष्ठभूमि, इसके 1उद्देश्यों और इसकी प्रक्रिया का विवेचन किया जाय।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में डिलिमिटेशन आयोग के गठन की बात की गई है, जो राज्यवार लोकसभा की सीटों और विधानसभा की सीटों की संख्या का निर्धारण करेगा और साथ ही उनका सीमांकन भी करेगा। यह कार्य प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किए जाने का प्रावधान था।

1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोगों का गठन किया गया जिन्होंने जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में क्रमशः 494, 522 और 543 सीटें निर्धारित कीं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन मतदाताओं की संख्या 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के

आधार पर क्रमशः 7.3, 8.4 और 10.1 लाख थी। वर्तमान की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर एक लोक सभा क्षेत्र में औसतन लगभग 18 लाख मतदाता हैं।

सामान्यतया, लोकतंत्र का सिद्धांत होता है कि एक व्यक्ति का एक वोट और प्रत्येक वोट का मूल्य भी समान हो। परिसीमन आयोग ने इस सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय लिया कि भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा सीटों के मतदाताओं की संख्या में 10 प्रतिशत तक का अंतर हो सकता था।

केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का राज्यवार निर्धारण करने से यह संभावित था कि दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होता चला जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए 1973 के कानून के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2000 तक कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग ने अपना कार्य 1976 में पूरा किया और इसी के आधार पर राज्यवार, लोकसभा की सीटें निर्धारित की गईं।

केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें निर्धारित करने का परिणाम यह हुआ कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी रूप से लागू किया उन्हें, आनुपातिक रूप से लोकसभा की सीटें कम मिलीं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया। इसके माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000 तक किसी भी राज्य की लोक सभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या तो वही रहेगी, किंतु सीटों के पुनर्सीमांकन का कार्य किया जा सकता है। बाद में सीमांकन का यह कार्य 1991 की जनगणना के आधार पर नहीं करके, इसे 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया।

जनसंख्या को आधार मानकर निर्णय लेने का प्रभाव केवल लोक सभा की सीटों पर ही नहीं होता है, अपितु जनसंख्या के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों का आवंटन भी राज्यों को किया जाता है। 2011 तक तो वित्त आयोग द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही राज्यों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किया जाता था। पहली बार 15 में वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय फंड का राज्यों को आवंटन किया, जिससे दक्षिण के राज्यों में यह आशंका उत्पन्न हुई कि उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड में कमी आएगी।

इसका अर्थ यह निकलने लगा कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलता पूर्वक लागू किया, जिनके प्रशासन ने अच्छा काम किया और तेजी से प्रगति की, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा कम सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार उनके राज्यों में लोकसभा की सीटें भी आनुपातिक रूप से कम हो जाएंगी।

उदाहरण के लिए, यदि हम यह मान लें कि लोकसभा की कुल सीटें 543 ही रखी जाती हैं और सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर राज्यों को किया जाता है, तो उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में 80 से बढ़कर 91, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 33, बिहार में 40 से बढ़कर 50 और राजस्थान में 25 से बढ़कर 31 हो जाएंगी। किंतु इसके साथ ही, दक्षिण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से घटकर कर 31, केरल में 20 से घटकर 12, कर्नाटक में 28 से घटकर 26 और आंध्र प्रदेश में 42 से घटकर 34 रह जाएंगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल चार उत्तर भारतीय राज्यों में ही लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान से 31 बढ़ जाएंगी, वहीं दक्षिण के चार राज्यों में यह संख्या 26 कम हो जाएंगी।

फिलहाल तो एक ही समाधान प्रतीत होता है और वह यह कि प्रत्येक राज्य की सीटों का कुल सीटों में प्रतिशत बनाए रखते हुए उनकी संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाए। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है जिसमें लगभग 105 करोड़ वोटर हैं। वर्तमान की 543 लोकसभा की सीटों को यदि 30इ के लगभग बढ़ाया जाता है तो प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में 30इ की वृद्धि की जा सकती है।

यदि लोकसभा की सीटें 2026 की जनगणना के आधार पर बढ़ाकर 848 कर दी जाएं तो उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 143, मध्यप्रदेश की 29 से बढ़कर 52, बिहार में 40 से बढ़कर 79, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50 हो जाएंगी। भारत के इन चार राज्यों की कुल सीटों में वृद्धि 150 की होगी। वहीं, दक्षिण के चार राज्यों में से तमिलनाडु में 39 से बढ़कर 49, आंध्रप्रदेश में 42 से बढ़कर 54, केरल में 20 की 20 और कर्नाटक में 28 से बढ़कर 41हो जाएंगी। अर्थात दक्षिण भारत के इन चार राज्यों की कुल सीटें वर्तमान संख्या से केवल 35 बढ़ेंगी।

इस अत्यंत असमान वृद्धि (150 की तुलना में 35) का प्रभाव यह होगा कि दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक महत्व बहुत हद तक कम हो जाएगा। यही बात दक्षिण भारत के राज्यों को परेशान कर रही है। वे चाहते हैं कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी रूप में कम ना हो।

भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने अपने तमिलनाडु के दौरे में यह आश्वासन तो दिया कि तमिलनाडु की सीटें कम नहीं होगी, किंतु यह नहीं बताया कि उत्तर भारत की सीटें कितनी बढ़ेंगी ? किसी राज्य का महत्व इस पर निर्भर करता है कि वहां से कुल कितने लोकसभा सदस्य हैं? यही संख्या निर्धारित करती है कि लोक सभा में किसका बहुमत होगा और कौन केंद्र में सरकार बनाएगा। यह सर्वज्ञात है कि भाजपा की अधिकांश सीटें उत्तर भारतीय राज्यों से आती हैं। किसी भी राज्य का महत्व तुलनात्मक रूप से देखा जाता है, न कि केवल संख्या के आधार पर। यदि केवल जनसंख्या को ही आधार माना जाता रहे तो यह एक प्रकार से न केवल भारत के संघीय ढांचे पर चोट होगी, अपितु राज्यों को प्रगति करने से हतोत्साहित भी करेगा। कोई भी राज्य यह नहीं चाहता कि देश की राजनीति में उसका प्रभाव एवं प्रभुत्व किसी भी दृष्टि से कम हो।

अब यह तय किया गया है कि 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा और सीटों की संख्या एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण भी किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो उपरोक्त विवेचन अनुसार उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक महत्व एवं उनके बीच राजनीतिक संतुलन बहुत बदल जाएगा और वह पूर्णतया उत्तर भारत के पक्ष में हो जाएगा। इसी कारण, दक्षिण के राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे हैं।

इसका एक व्यावहारिक समाधान यह हो सकता है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की लोकसभा में जितनी सीटें बनती हैं, उतनी ही प्रतिशत बनाए रखी जाएं। सीटों की संख्या के साथ ही कौन-कौन सी सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित होगी, इसका भी निर्णय परिसीमन आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

भारत सरकार ने संसद के माध्यम से लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण कर दिया है। यह आरक्षण, परिसीमन के बाद लागू होगा, और परिसीमन तब होगा जब जनगणना हो जाएगी। एक प्रकार से यही कहावत सही होती दिखाई दे रही है कि 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी'।

1901 के बाद लगातार जनगणना हर 10 वर्षों में हो रही थी किंतु पहली बार 2021 वाली जनगणना 2025 तक भी नहीं हो पाई है और यह संभावना है अब यह 2026 में हो। जनगणना में भी एक पेंच यह फंसा हुआ है कि जातिगत जनगणना हो अथवा नहीं? जहां विपक्षी दल, कांग्रेस के नेतृत्व में एक मत से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसके पक्ष में दिखाई नहीं देती। इस विवादास्पद मुद्दे का समाधान हुए बिना जनगणना भी समय पर होती हुई दिखाई नहीं देती। जब जनगणना ही नहीं होगी तो फिर परिसीमन भी टल जाएगा और परिणाम स्वरूप, महिला आरक्षण भी एक प्रकार से केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा।

कुल मिलाकर, परिसीमन का पूरा मुद्दा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट और प्रत्येक वोट का एक मूल्य पर टिका है तथा दूसरी ओर इसे भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार बताया जा रहा है। यदि संघीय ढांचे को वरीयता दी जाए तो दक्षिण भारतीय राज्यों को भी पूर्व में मिली हुई वरीयता और उनकी हिस्सेदारी को बनाए रखा जाना चाहिए। वहीं, केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इस जटिल प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा यह तो समय ही बताएगा। भारत, क्योंकि कई विविधताओ वाला देश है, इसका समाधान भी सबकी महत्वाकांक्षाओं का ध्यान रखे बिना संभव नहीं होगा।

फिलहाल तो एक ही समाधान प्रतीत होता है और वह यह कि प्रत्येक राज्य की सीटों का कुल सीटों में प्रतिशत बनाए रखते हुए उनकी संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाए। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है जिसमें लगभग 105 करोड़ वोटर हैं। वर्तमान की 543 लोकसभा की सीटों को यदि 30% के लगभग बढ़ाया जाता है तो प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों में 30% की वृद्धि की जा सकती है। यह एक व्यावहारिक समाधान तो है लेकिन क्या यह सभी राज्यों को स्वीकार्य होगा एवं क्या वर्तमान केंद्र सरकार इसको होने देगी? यह लिखना भी उपयुक्त होगा कि केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा का मुख्य आधार उत्तर भारत में है। वह इसीलिए यह चाहती है कि उत्तर भारत के राज्यों का कुल प्रतिनिधित्व लोकसभा में इतना हो जाय कि दक्षिण भारतीय राज्य किसी प्रकार की चुनौती देने की स्थिति में ही न रहे।

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जहां परिसीमन (यानि डिलिमिटेशन) की असीम संभावनाएं हैं वहीं चुनौतियां भी अपार हैं तथा साथ ही ,जहां यह संवैधानिक रूप से आवश्यक है, वहीं इसे लागू करना कठिन भी। अब, यह सत्ता धारी दल की राजनीतिक परिपक्वता पर निर्भर करता है कि वह इसका समाधान कैसे निकाल पाता है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

जैविक खेती: पर्यावरण और सेहत के लिए वरदान

राजेन्द्र राठौड़

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका प्रदान करता है और देश की जीडीपी में इसकी 18-20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। देश का कृषि क्षेत्र देश की लगभग आधी जनसंख्या को रोजगार देता है। भारत ने 2023-24 में 332.2 मिलियन टन का रिकॉर्ड कुल अनाज उत्पादन हासिल किया जो भारतीय किसानों के खेती के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण है। देश में हरित क्रांति के बाद से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया लेकिन समय के साथ इनके दुष्प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। ये कीटनाशक न केवल मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। हाल के वर्षों में जैविक खेती की ओर बढ़ते झुकाव ने इस विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

भारत में 1950 में कीटनाशकों का उपयोग लगभग नगण्य था, लेकिन वर्ष 2023-24 तक यह खपत बढ़कर 255.54 हजार टन हो गई है। यह वृद्धि कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाती है लेकिन साथ ही इसके नकारात्मक प्रभावों को भी उजागर करती है। एनवॉयर्नमेंट वर्किंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार 12 प्रमुख फल और सब्जियों में कीटनाशकों की खतरनाक मात्रा पाई गई है। इनमें भिंडी, टमाटर, मिर्च, पालक, शिमला मिर्च, गोभी, आम, अंगूर, सेब, केले, पपीता, स्ट्रॉबेरी आदि शामिल हैं।

कीटनाशक फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करते हैं जो उनका छिड़काव तथा रखरखाव करते हैं। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जहरीले रसायनों के निरंतर सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है वहीं कीटनाशकों के अवशेष लिवर को प्रभावित कर फैटी लिवर और हेपेटाइटिस जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इन जहरीले तत्वों के संपर्क में आने से सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं पर इनका विशेष रूप से खतरनाक प्रभाव पड़ता है जिससे गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृतियों की संभावना बढ़ जाती है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों में इनका प्रभाव अधिक देखा जाता है जहां सुरक्षात्मक उपायों की कमी के कारण जोखिम और बढ़ जाता है।

कीटनाशकों का पर्यावरण, विशेष रूप से जैव विविधता पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब इनका अत्यधिक या अनुचित उपयोग किया जाता है तो ये रसायन मिट्टी, जल स्त्रोतों और वायु को प्रदूषित कर देते हैं। कृषि क्षेत्रों में किए गए छिड़काव से कीटनाशक अक्सर नदियों, झीलों और महासागरों तक पहुंच जाते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जलीय जीवन प्रभावित होता है। ये केवल लक्षित कीटों को नहीं मारते बल्कि लाभकारी जीवों जैसे मधुमक्खियों, तितलियों और प्राकृतिक परागणकर्ताओं की आबादी को भी नुकसान पहुंचाते हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।

लगातार कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की जैव विविधता नष्ट हो रही है, जिससे उसकी उर्वरता में गिरावट आ रही है। इनका अत्यधिक उपयोग लाभकारी कीटों को खत्म कर देता है जिससे कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है और खेती में जैविक संतुलन बिगड़ता है। इससे खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और पोषण स्तर भी प्रभावित होते हैं। इसलिए जैविक खेती और प्राकृतिक कीट नियंत्रण उपायों को अपनाना एक सतत और सुरक्षित समाधान हो सकता है।

केन्द्र सरकार ने कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। 2015 में शुरू की गई सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और किसानों को उर्वरकों व कीटनाशकों के संतुलित उपयोग की सलाह दी जाती है जिससे जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा किसान कवच की शुरुआत करना किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। उन्नत फैब्रिक तकनीक युक्त यह अभिनव सूट किसानों की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पहल के साथ-साथ सरकार जैव कीटनाशकों के अपनाने को बढ़ावा देते हुए रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ये प्रयास किसानों और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए एक सुरक्षित और अधिक टिकाऊ कृषि भविष्य बनाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं।

एशिया के सबसे प्रदूषित नालों की सूची में शामिल बुड्ढ़ा नाला में लुधियाना की औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ शहर के सीवरेज का प्रदूषित पानी बिना साफ किए राजस्थान के 22 जिलों को पेयजल देने वाली इंदिरा गांधी नहर में सीधा डाला जा रहा है। इस जल का उपयोग सिंचाई में होने से खेतों की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों ने इस गंभीर समस्या के खिलाफ आवाज उठाई थी और नाले को मिट्टी से पाटने की घोषणा भी की थी। वहीं सीवरेज के गंदे पानी में उगने वाली सब्जियां अत्यधिक विषैली होती हैं क्योंकि ये जल में मौजूद रसायनों और भारी धातुओं को अवशोषित कर लेती हैं। यही सब्जियां जब बाजार में पहुंचती हैं तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती हैं। इसका समाधान जैविक खेती को बढ़ावा देना और जलशुद्धिकरण की प्रभावी व्यवस्था करना है। कीटनाशकों के प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त कानूनों के साथ टिकाऊ कृषि पद्धितयों को भी बढ़ावा देना जरूरी है। सरकार ने रसायन-मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जैव कीटनाशकों और जैविक खेती संबंधी कई पहल शुरू की हैं। विभिन्न फसलों में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैव नियंत्रण का उपयोग एक महत्वपूर्ण समाधान साबित हो सकता है।

रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जैविक खेती आवश्यक हो गई है। इसमें हरी खाद, वर्मीकम्पोस्ट, फसल चक्र, मिश्रित फसल प्रणाली, नीम तेल, जैविक स्प्रे, गोबर और केंचुए की खाद जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में जैविक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए किसानों को जैविक खेती की तकनीकों पर प्रशिक्षण देना, आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान करना आवश्यक है। साथ ही जैविक उत्पादों के लिए विशेष बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है जिससे किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जैविक खेती प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करती है। हालांकि प्रारंभ में जैविक खेती की पैदावार कम हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह अधिक लाभकारी साबित होती है। जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलेगा, इसलिए इसे अपनाना समय की मांग है। हमें स्वयं भी जागरूक होकर जैविक उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकें।

–राजेन्द्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

12 भाई-बहनों समेत पांचू गांव के 18 युवाओं ने साइक्लिंग में पहचान बनाई

- **इन 12 भाई-बहनों में पांच तो सगे भाई हैं, इन्होंने खेल के जरिये नेशनल गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीते हैं**
- **गांव के 18 खिलाड़ियों में आठ महिला खिलाड़ी और 10 पुरूष साइक्लिस्ट है**

बीकानेर, (निसं)। पांचू के पन्नाराम तर्ड के परिवार की आज समाज ही नहीं देश में अलग की पहचान है। यह पहचान उनके पोते-पोतियों में साइक्लिग द्वारा कमाई है। इन भाई-बहनों ने साइक्लिग में नेशनल और इंटरनेशनल तक पहचान बनाई है। इन 12 भाई-बहनों में पांच तो सगे भाई है। इन्होंने खेल के जरिये न केवल नेशनल गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीते बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।

साइक्लिग के माध्यम से ही इनमें से कोई आर्मी तक पहुंचा तो कोई रेलवे में। इनमें से दो भाई को भारतीय टीम की ओर से भी खेले। इन्हें साइक्लिग में इतना नाम कमाते देख गांव के छह युवाओं ने भी साइक्लिग प्रतियोगिताओं में भाग्य आजमाया। गांव के 18 खिलाड़ियों में आठ महिला खिलाड़ी और 10 पुरूष साइक्लिस्ट है। गांव के दिनेश तर्ड ने 2014 में बीकानेर में साइक्लिग शुरू की। कुछ समय ट्रेनिंग लेने के बाद अगले ही साल हुई साइक्लिग नेशनल प्रतियोगिता में दिनेश ने पदक जीता। सुरेश, मनोज, राजूराम और ब्रिमेश ने भी साइक्लिग शुरू कर दी। अब तक दिनेश ने 15 नेशनल पदक जीत लिए, इनमें तीन गोल्ड है। इसके अलावा एशिया पर में एक सिल्वर और ब्रांच मेडल भी अपनी झोली में डाले। आर्मी की साइक्लिग टीम के कोच राजूराम तर्ड ने बताया कि उन्होंने पांच साल तक आर्मी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। 11 खिलाड़ियों की टीम ने उनकी भूमिका अहम रहती। आर्मी की सातों कमांडो के बीच हुए कंपीटिशन के बाद उनका चयन नेशनल टीम में हुआ। उनके साथ दो अन्य खिलाड़ी भी नेशनल टीम में चुने गए। उस समय उन्होंने वेस्टर्न आर्मी कमांड, चंडीगढ़ में इंटर आर्मी में पदक जीता। अब बीकानेर में साउथ-वेस्टर्न कमांड में कोच की भूमिका में है।

पांचू के तर्ड परिवार ने साइक्लिग में 12 नेशनल खिलाड़ी दिए हैं। इनमें से दो भाइयों ने अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। तर्ड परिवार के ब्रिमेश, राजूराम, दिनेश, सुरेश और मनोज तर्ड को सगे भाई है। इनमें दिनेश और मनोज ने अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेल हैं। वहीं राजूराम आर्मी में साइक्लिग खिलाड़ी और कोच है। इसके अलावा इसी परिवार की पांच बेटियों ने भी साइक्लिग में नेशनल मेडल जीते हुए हैं। इसी परिवार की शारदा तर्ड, सरोज और आरती के अलावा प्रियंका और निरमा तर्ड ने भी साइक्लिग में नेशनल पदक जीते हैं। इसी परिवार के ओमप्रकाश और बीरबल के अलावा गांव की आरती सियाग, पुष्पा सियाग, संतोष सियाग, रामकिशन भांभू, मनोज डूडी और भगवती मायला ने साइक्लिंग प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। भगवती से तो स्कूली खेलों में ही नेशनल पदक जीत लिया।

पांचू में एक ही परिवार के 12 खिलाड़ियों को पदकवीर बनाने वाली गुरूदेव साइक्लिग एकेडमी की एक महिला खिलाड़ी ने 21 से 27 फरवरी तक मलेशिया के निलाई शहर में हुई एशियन ट्रैक साइक्लिग में टीम इंवेंट में कांस्य पदक जीता है।

एकेडमी के अंतरराष्ट्रीय कोच किशन पुरोहित ने बताया कि हमारी एकेडमी ने इन दिनों 150 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारतीय साइक्लिग टीम में अधिकांश खिलाड़ी बीकानेर में ही तैयार होते हैं। अब तक हमने कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। हमने अभी तक 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। इसमें कोरोना कॉल के बाद 20 से ज्यादा खिलाडियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं।

सिलिका सैंड ले जा रही ओवरलोड 16 गाड़ियां पकड़ी, 35 लाख का जुर्माना लगाया

बीकानेर, (निसं)। खान निदेशालय की विजिलेंस टीम ने बीकानेर की खानों से ओवरलोड भरकर निकली सिलिका सेंड की 16 गाड़ियां श्रीगंगानगर में पकड़ी है। जिन पर करीब 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रवन्ने में वजन 20 टन दर्ज था, जांच में 70 टन खनिज मिला।

बीकानेर से बजरी और सिलिका सेंड की सैकड़ों गाड़ियां रोजाना श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, हरियाणा-पंजाब सहित अनेक स्थानों पर जाती हैं। खानों से खुलेआम ओवरलोड गाड़ियां भरकर निकाली जा रही है और उनके रवन्ने में वजन कम बताया जा रहा है। इसकी शिकायत खान एवं भूविज्ञान विभाग के उदयपुर स्थित निदेशालय को मिली तो वहां से गुपचुप तरीके से विजिलेंस की टीम भेजी गई। एमई प्रकाश माली की देखरेख में इस टीम ने बीकानेर की खानों से सिलिका सेंड की रवन्ना पर बेखौफ निकली 16 ओवरलोड गाड़ियों को श्रीगंगानगर में पकड़ा है। इन गाड़ियों में विभागीय एम्पैनल्ड तुलाई यंत्र से 20 टन खनिज बताया गया है, लेकिन वास्तव में 50 से 70 टन खनिज भर रखा है।

विजिलेंस टीम ने करीब 35 लाख रुपए की शास्ती तय की है। निदेशालय से आई विजिलेंस टीम की कार्रवाई से ओवरलोड खनिज निर्गमन करने वालों में हड़कंप मचा है। खनिज बजरी और सिलिका सेंड देखने में एक जैसे ही हैं। जांच की जाएगी कि गाड़ियों में कहीं सिलिका सेंड के नाम पर बजरी तो नहीं भरी रखी है। टीम ने सैंपल लिए हैं जिसकी प्रयोगशाला में जांच होगी। अगर जांच में बजरी निकली तो संविदा की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित खान मालिकों पर कार्यवाही होगी और पर्यावरण शास्ती भी अलग से वसूली जाएगी। खान निदेशालय ने जिन खानों से खनिज का निर्गमन किया गया है, वहां जांच के आदेश दे दिए हैं।

इसके अलावा विभागीय एम्पैनल्ड तुला यंत्र और ईआरसीसी ठेकेदार की ओर से काटी गई रसीदों की भी जांच की जाएगी।

राशिफल मंगलवार 4 मार्च, 2025

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, भरणी नक्षत्र रात्रि 2:38 तक, ऐन्द्रयन योग रात्रि 2:06 तक, बालव करण दिन 3:17 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज ज्वालामुखी योग दिन 3:17 तक है। रवियोग सायं 6:41 तक है, पुनः रात्रि 2:38 से आरम्भ होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 2:38 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:45 से 11:12 तक, लाभ-अमृत 11:12 से 2:05 तक, शुभ 3:32 से 4:95 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:52, सूर्यास्त 6:26

मेष

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

वृष
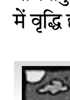
आर्थिक कारणों से परेशानी हो सकती है। धन हानि हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मिथुन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

कर्क
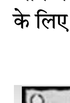
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
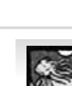
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

कन्या
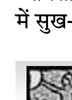
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आज आर्थिक मामलों से परेशानी हो सकती है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

तुला
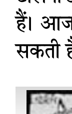
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक
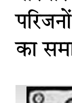
स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या व्यवस्थित होने लगेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
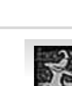
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
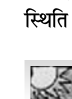
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कुंभ
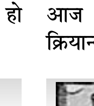
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में उचित परामर्श मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
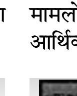
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।